जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-09.07.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हासिम पुत्र मीर जंग निवासी मौहल्ला सलेपुर रोड कस्बा काधला जनपद शामली

2.मोहसीन पुत्र हासिम निवासी मौहल्ला सलेपुर रोड कस्बा कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 06 मामले में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 33,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2005 में अभियुक्त अरविन्द पुत्र सौदागर निवासी रामनगर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 472/2005 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2015 में अभियुक्तगण 1.हरविन्द्र पुत्र सहेन्द्रपाल निवासी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली, 2.सहेन्द्रपाल पुत्र लालसिंह निवासी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 734/2015 धारा 324/323/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2012 में अभियुक्तगण 1.अजब सिंह पुत्र शेर सिंह 2.सोराज पुत्र चन्द्र सिंह निवासीगण मवी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 369/2012 धारा 379/411 भादवि व 3/20 खन्न अधि0 में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गया अवधि व कुल 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 -01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2016 में अभियुक्त भोला उर्फ मुबारिक पुत्र ताहिर निवासी भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 132/2016 धारा 147/148/307

भादवि में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी कोर्ट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307 भादवि में 09 वर्ष 04 माह 11 दिन की सजा व धारा 148 भादवि में 03 वर्ष की सजा व धारा 147 भादवि में 02 वर्ष की सजा व 4000/ रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.- वर्ष 2016 में अभियुक्त भोला उर्फ मुबारिक पुत्र ताहिर निवासी भूरा थाना कैराना जनपद शामली विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 135/2016 धारा 414 भादवि में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष की सजा व 1000/ रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.- वर्ष 2024 में अभियुक्त भोला उर्फ मुबारिक पुत्र ताहिर निवासी भूरा थाना कैराना जनपद शामली विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 133/2016 धारा 25 शस्त्र अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष की सजा व 1000/ रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश-

आज दिनांक 09.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान के प्रतीक के रूप में, "एक पेड़ मां के नाम 2.0" अभियान के अंतर्गत निर्माणधीन रिजर्व पुलिस लाइन शामली व पुलिस आफिस शामली में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू किए गए इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन के साथ-साथ मातृत्व के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा, "वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। यह अभियान न केवल

पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि यह हमारी माताओं के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक भी है। प्रत्येक पौधा जो हम आज रोप रहे हैं, वह हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है।" कार्यक्रम के दौरान रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। हम सभी को न केवल पौधे लगाने, बल्कि उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि ये पौधे वृक्ष बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध हों । शामली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों, स्कूलों, और सामुदायिक स्थलों पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें । यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह हमारी माताओं और मातृभूमि के प्रति सम्मान का एक अनूठा प्रयास भी है। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों पर भी वृक्षारोपड़ किया गया ।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमरदीप मौर्या, क्षेत्राधिकारी कैराना श्री श्याम सिंह, क्षेत्राधाकारी यातायात श्रीमति अपेक्षा निम्बाडिया, प्रतिसार निरीक्षक लाइन श्री विक्रम सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

एक पेड मॉ
के नाम